रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D(D)-72

SECRETARIAT Lib. GOVT OF INDIA.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 320] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 30, 1978/कार्तिक 8, 1900
No. 320] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 30, 1978/KARTIKA 8, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1978

सा. का. नि. 522(अ).—केन्द्रीय सरकार, बाट और माप मानक (पैकेज में रखी हुई वस्तु) नियम, 1977 के नियम 1 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसरण में, और भारत सरकार के नागरिक आपूर्ति और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 621 (अ), तारीख 26 सितंबर, 1977 का आंशिक उपान्तरण करते हुए, और भारत सरकार के वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय (नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 431 (अ), तारीख 24 जून, 1978 को अधिक्रांत

करते हुए, 1 फरवरी, 1979 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त नियमों के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त हो जाएंगे, अर्थात् :—

(1) नियम 5,

(2) नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ड.) और (छ) ;

(3) नियम 7 ;

(4) नियम 12 के उपनियम (3), (4), (5) और (6) ;

(5) नियम 13, 14, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ; और

(6) नियम 34 के उपबंधों का उतना अंश जिसका संबंध किसी कर्मशाला, सर्विस स्टेशन या किसी अन्य स्थान में, जहां किसी बाइसिकिल या ट्राइसिकिल की सर्विसिंग या मरम्मत होती है, प्रयोग में लाए जाने वाले किसी संघटक, पुर्जे या पदार्थ से है।

[सं. फा. डब्ल्यू. एम. 9(36)/77]

के. नारायणन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Civil Supplies and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 1978

G.S.R. 522(E).—In pursuance of the provisions of sub-rule (4) of rule 1 of the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules 1977, and in partial modification of the notification of the Government of India in the late Ministry of Civil Supplies and Cooperation No. G.S.R. 621(E), dated the 26th September, 1977, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Department of Civil Supplies & Cooperation) No. G.S.R. 431(E), dated the 24th August, 1978, the Central Government hereby appoints the 1st day of February, 1979 as the date on which the following provisions of the said rules shall come into force, namely :—

(i) rule 5 ;

(ii) clauses (e) and (g) of sub-rule (1) of rule 6 ;

(iii) rule 7 ;

(iv) sub-rules (3), (4), (5) and (6) of rule 12 ;

(v) rules 13, 14, 18, 20 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ; and

(vi) so much of the provisions of rule 34 as relate to any component, part or material used in any workshop, service station or any other place where servicing or repairing of any bicycle or tricycle is undertaken.

[F. No. WM-9(36)/77]

K. NARAYANAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978